मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

01 Uploading

क्रमांक एफ 11–61/2022/सूअप्र/1–9/765 भोपाल, दिनांक 21/09/2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत स्वतः (suo moto) जानकारी के प्रगटन हेतु समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने बाबत।

---00---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 990/2021 श्री किशनचंद्र जैन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में आदेश दिनांक 17.08.2023 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के क्रियान्वयन को निरंतर monitor किये जाने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग को निर्देश दिये गये है।

2/ समस्त लोक प्राधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 990/2021 श्री किशनचंद्र जैन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में आदेश दिनांक 17.08.2023 के पालन हेतु एवं अधिनियम की धारा 25(2) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते है, जिससे की आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों में राज्य शासन के विभागों से संबंधित जानकारियॉ स्पष्ट दर्शायी जा सके।

3/ शासन के समस्त विभाग , राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त संभागायुक्त,समस्त कलेक्टर,समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत समस्त प्रगटन योग्य जानकारी अपने विभाग/कार्यालय की वेबसाइड पर अपलोड करे। तथा प्रत्येक तीन माह के अंतराल में जानकारी को अद्यतन(अपडेट) कर त्रैमासिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को निरंतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सूचना अधिकार अधिनियम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्राभावी क्रियान्वयन किया जा सके ।

15/12/2023

(शैलबाला ए.मार्टिन)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासनविभाग (सूअप्र)

Joemje fee uploading pl 04/10/2023

सूचना का अधिकारप्रकोष्ठ

....2

सूचना का अधिकार

पृ.क्र. एफ 11–61/2022/सूअप्र/1–9/766 भोपाल, दिनांक 21/09/2023

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. महालेखाकार, प्रथम लेखा एवं हकदारी, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल,
1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुखसचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
15. मुख्य सचिव, के सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल,
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल, की ओर उनके पत्र कमांक एफ–109/मु.सू.आ./रासूआ/2023/7840
19 अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग। कृपया उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र) की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

गार्ड फाईल,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासनविभाग (सूअप्र)